

**उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल**  
**रिट याचिका सं. 2001 का 2142 (एसएस)**  
**(1999 का पुराना No.5755)**

1. श्री मदन मोहन की पत्नी श्रीमती रोशनी देवी
2. श्रीमती. रंजना छेत्री और श्री हरि बहादुर छेत्री दोनों टैचर L.T. ग्रेड कैंट में कन्या इंटर कॉलेज, गढ़ी कैंट। देहरादून .....याचिकाकर्ता

बनाम

1. जिला विद्यालय निरीक्षक, देहरादून
2. छावनी बोर्ड छावनी। देहरादून इसके माध्यम द्वारा कार्यकारी अधिकारी
3. कार्यकारी अधिकारी, छावनी बोर्ड, देहरादून
4. रणधीर सिंह, व्याख्याता कन्या इंटर कॉलेज, गढ़ी देहरादून
5. श्रीमती. पूनम वर्मा, लेक्चरर कैंट। कन्या इंटर कॉलेज, गढ़ी, देहरादून ...प्रतिवादी

श्री M.C. पंत, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता,  
श्री पंकज पुरोहित प्रतिवादी 5 के लिए अधिवक्ता.  
प्रतिवादी के लिए स्थायी वकील सं. 1.

तारीख: 7.8.2006

**माननीय राजेश टंडन, जे.**

वर्तमान रिट याचिका द्वारा, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी को व्याख्याता के पद पर याचिकाकर्ताओं को को पदोन्नत करने परमादेश देने के लिए एक अनिवार्य रिट के लिए अनुरोध किया है।

संक्षेप में याचिकाकर्ता नं. 1 को कन्या इंटर कॉलेज, कैंट में नियुक्त किया गया था। गढ़ी, देहरादून 31.3.1984 L.T श्रेणी में याचिकाकर्ता नं. 2 को C.T में नियुक्त किया गया था। 15 सितंबर 1980 को संस्थान में ग्रेड शिक्षक।

याचिकाकर्ताओं ने 21.8.1997 पर 50% कोटे के से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने करने के लिए अपना अभ्यावेदन दायर किया है जैसा कि G.O के माध्यम से प्रदान किया गया है। No. 1889/15-7 1 (89)/1990 दिनांक 15 सितंबर 1990 तदनुसार याचिकाकर्ताओं के उक्त आवेदन पर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्होंने 27.8.1997 पर अनुस्मारक भी प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात तीन महीने की अवधि के भीतर, ऊपर बताए गए 50% कोटे से अपनी पदोन्नति के याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करें।

तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। आदेश की कोई लागत नहीं।

तारीख: 7.8.2006

राजेश टंडन, जे।

\* ध्यानी